

## प्रभारों की अनुसूची

### 1) प्रोसेसिंग फीस

**क)** ऋण आवेदन के समय - 5000 रुपये तक का अप्रतिदेय प्रारंभिक लॉगिन शुल्क (जीएसटी सहित)

**ख)** स्वीकृत ऋण राशि स्वीकार करते समय आवेदक को अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। कुल देय प्रोसेसिंग शुल्क निम्नानुसार होगा:

ऋण का प्रकार	प्रसंस्करण शुल्क (प्रारंभिक प्रसंस्करण शुल्क के अतिरिक्त)
आवास ऋण*	स्वीकृत ऋण राशि के 4% तक (जीएसटी सहित)
गैर आवास ऋण*	स्वीकृत ऋण राशि के 4% तक (जीएसटी सहित)
किसी भी सरकारी योजना के तहत पात्र ऋण*	संबंधित सरकारी योजना के अनुसार, उपरोक्त सीमा और जीएसटी के अधीन।
निरीक्षण शुल्क**	रु.1500 रुपये प्लस जीएसटी
अन्य प्रशासनिक शुल्क***	रु.1000 रुपये प्लस जीएसटी

\*कृपया स्वीकृत पत्र में लगाए गए प्रसंस्करण शुल्क की सटीक राशि देखें।

\*\*जयपुर शहर के लिए खोज शुल्क 2000 रुपये प्लस जीएसटी और छत्तीसगढ़ और दिल्ली एनसीआर के लिए 2500 रुपये प्लस जीएसटी होगा।

\*\*\*ई-हस्ताक्षर, सरसाई खोज, ब्यूरो लागत, डिजिटल सत्यापन आदि

**2) अतिरिक्त सुरक्षा सृजन शुल्क** - दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में सुरक्षा सृजन के लिए 2,000 रुपये तक प्लस जीएसटी।

**3) बाद के संवितरण के लिए तकनीकी शुल्क** - पहली किश्त के संवितरण के बाद, प्रत्येक बाद के संवितरण के समय, उधारकर्ता को 20 लाख रुपये तक की स्वीकृत राशि के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी और 20 लाख रुपये से अधिक की स्वीकृत राशि के लिए 750 रुपये प्लस जीएसटी प्रत्येक तकनीकी दौर के लिए वहन करना होगा, जिसे बाद के संवितरण राशि से काटा जाएगा।

**4) ऋण रद्द करने का शुल्क** - उधारकर्ता के अनुरोध पर ऋण के वितरण के बाद, यदि किसी भी कारण से ऋण रद्द किया जाता है, तो 10,000 रुपये का ऋण रद्द करने का शुल्क और जीएसटी शुल्क लिया जाएगा।

5) दंडात्मक शुल्क - देय तिथि से विलंबित EMI/PEMI राशि पर विलंबित दिनों की संख्या के लिए 2% प्रति माह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। बकाया EMI/PEMI राशि पर कोई अन्य ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं होगा, यानी ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

6) पूर्व भुगतान शुल्क - ऋण को समय से पहले बंद करने या ऋण के अग्रिम समायोजन/आंशिक भुगतान के लिए लगाए जाने वाले शुल्क:

ब्याज का प्रकार	ऋण का प्रकार	प्रभार(कृपया नीचे दिए गए नोट देखें)
परिवर्तनीय दर	आवास ऋण/ गैर- आवास ऋण व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए जब तक कि अंतिम उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए न हो।	कोई शुल्क नहीं।
अपरिवर्तनीय दर	उधारकर्ता के अपने स्रोतों के माध्यम से आवास ऋण पूर्व भुगतान/पूर्व बंद।	कोई शुल्क नहीं।
अपरिवर्तनीय दर	व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी ऋणों के लिए, सह-देनदार(कों) के साथ या उनके बिना, यदि 1. ऋण स्वीकृत राशि 50 लाख रुपये से अधिक हो, 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद या 2. ऋण स्वीकृत राशि 31 दिसंबर, 2025 तक राशि चाहे कितनी भी हो	(a) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24 महीनों के भीतर। भुगतान की गई ऋण राशि पर 6% एवम जीएसटी. (b) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24 महीने बाद। भुगतान की गई ऋण राशि पर 4.5% एवम जीएसटी.
निश्चित दर	ऋण लेने वाले व्यक्ति(यों) के 'स्वयं के स्रोतों' के माध्यम से पूर्व भुगतान किए गए/पूर्व-बंद किए गए ऋण।	कोई शुल्क नहीं।
परिवर्तनीय दर	अन्य स्रोतों के माध्यम से पूर्व-भुगतान/पूर्व-समाप्त किए गए आवास ऋण या किसी भी उद्देश्य के लिए गैर-आवास ऋण	(a) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24 महीनों के भीतर। भुगतान की गई ऋण राशि पर 6% एवम जीएसटी. (b) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24 महीने बाद। भुगतान की गई ऋण राशि पर 4.5% एवम जीएसटी.

निश्चित दर	अन्य स्रोतों या स्वयं के स्रोतों के माध्यम से पूर्व-भुगतान/पूर्व-समाप्त किए गए आवास ऋण या किसी भी उद्देश्य के लिए लिए गए गैर-आवास ऋण	(a) पहले संवितरण की तारीख से पहले 3 वर्षों के लिए - अपरिवर्तनीय दर ऋण में लागू शुल्क लागू होंगे।  (b) 3 वर्ष के बाद - परिवर्तनीय दर ऋण में लागू शुल्क लागू होंगे।
------------	--	---

**टिप्पणी:**

- i. इस प्रयोजन के लिए "स्वयं के स्रोत" शब्द का अर्थ बैंक/एचएफसी/एनबीएफसी और/या वित्तीय संस्था से उधार लेने के अलावा कोई अन्य स्रोत है।
- ii. एमएसई को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दी गई परिभाषाओं के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

**7) कानूनी शुल्क \* (प्लस जीएसटी)**

13 (2) सूचना	रु. 2500/- प्रति सूचना
13 (4) सूचना	रु. 5000/- प्रति सूचना
कब्जे की सूचना	रु. 5000/- प्रति सूचना
नीलामी सूचना	रु. 5000/- प्रति सूचना
एनपीए मामलों के लिए संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन	प्रति मामले 1500 रुपये
SARFAESI में धारा 14 के तहत आवेदन दाखिल करना और भौतिक कब्जे का आदेश प्राप्त करना	प्रति मामले 15000 रुपये
मध्यस्थता (एलआरएन की शुरुआत के चरण में)	प्रति मामले 4000 रुपये
एनआई अधिनियम की धारा 138 (फाइलिंग के चरण में)	प्रति मामले 5000 रुपये
भौतिक कब्जे के शुल्क (पूर्ण होने पर)	वास्तविक के अनुसार

भौतिक कब्जे के आरोप (भौतिक कब्जे लेने के प्रयास पर)	प्रति मामले 10000 रुपये
धारा 25 दाखिल करने के चरण में	प्रति मामले 3500 रुपये
अन्य कानूनी लागत	वास्तविक के अनुसार

## 8) अन्य शुल्क

ऋण चक्र के दौरान	
कैश हैंडलिंग चार्ज	रु. 300/- प्लस जीएसटी
बकाया पूछताछ	रु. 1000/- प्लस जीएसटी
पुनर्भुगतान अनुसूची शुल्क	रु. 500/- प्लस जीएसटी
खाता विवरण	रु. 700/- प्लस जीएसटी
ऋण चक्र के दौरान दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क	रु. 750/- प्लस जीएसटी
सीएलडी (दस्तावेज़ की ग्राहक सूची)	रु. 700/- प्लस जीएसटी
संवितरण चेक पुनः प्रिंट करने का अनुरोध	रु. 1000/- प्लस जीएसटी
समाप्त चेक पुनः प्रसंस्करण शुल्क	रु. 2500/- प्लस जीएसटी
बैंकिंग विवरणों में कोई भी परिवर्तन	रु. 1000/- प्लस जीएसटी प्रति मामले
ब्याज दर समीक्षा शुल्क (बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर उच्च ब्याज दर वाले ऋण से कम ब्याज दर वाले ऋण में परिवर्तन के लिए): रूपांतरण शुल्क बकाया ऋण का 4% तक, साथ ही जीएसटी।	ग्राहक के अनुरोध पर और कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर विवेकाधिकार हेतु, ₹5,000/- या बकाया ऋण का 0.5%, जो भी अधिक हो, साथ ही जीएसटी; ग्राहक द्वारा देय होगा।
रूपांतरण शुल्क (ब्याज दर के प्रकार ("आरओआई") में परिवर्तन के लिए, फ्लोटिंग से फिक्स्ड ब्याज आरओआई और इसके विपरीत):	बकाया ऋण का 4% तक, साथ ही जीएसटी।
बाउंस शुल्क	प्रति घटना 700 रुपये
बाउंस शुल्क/भुगतान की नियत तिथि चूकने पर शुल्क (उन मामलों के लिए जहां ACH/ECS जनादेश लागू नहीं है, और भुगतान नियत तिथि पर या उससे पहले नहीं किया गया है)	रु. 500/- प्लस जीएसटी प्रति मामले
क्षेत्र भ्रमण प्रभार	रु. 500/- प्लस जीएसटी प्रति भ्रमण
ऋण बंद करने के समय	

दस्तावेज़ भंडारण और हैंडलिंग शुल्क	रु. 1000/- प्लस जीएसटी
ऋण बंद होने की तारीख से 30 दिन बाद संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ न प्राप्त करने पर दंडात्मक शुल्क	रु. 2000/- प्रति माह प्लस जीएसटी
ऋण खाता बंद करने का शुल्क	100/- रुपये तक प्लस जीएसटी

9) स्टाम्प ड्यूटी, नोटरी वगैरह जैसे बाकी सभी खर्च उधार लेने वालों को असल खर्च के हिसाब से उठाने होंगे।

**कृपया ध्यान दें:** शुल्क और शुल्कों को कंपनी द्वारा अपने विवेकानुसार संशोधित किया जा सकता है और इस तरह के परिवर्तन को कंपनी की वेबसाइट/शाखाओं पर शुल्कों की अनुसूची के तहत प्रकाशित किया जाएगा। कर्जदारों से अनुरोध है कि वे नवीनतम लागू शुल्कों और अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित प्रभारों की अनुसूची देखें। कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध शुल्कों की अनुसूची को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा

---XXX---